सामान्य प्रशासन विभाग

दृष्टिपत्र – 2018

विषयः 16 – "सुशासन" पर 100 दिवसीय कार्ययोजना

16.3.2:विभागों और उनके अधिकारियों की परफारमेंस का ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से निगरानी और मूल्यांकन किया जायेगा।

- वर्तमान में विभागों का सतत मूल्यांकन होता है परंतु अधिकारियों के लिये यह व्यवस्था नहीं है। अब अधिकारियों के परफारमेंस मूल्यांकन के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी।
- इसके लिये विभागवार सूचकांक (Indicator) तथा मापदण्ड विभागों से जानकारी प्राप्त कर तय किये जाएंगे।
- प्रथम चरण के रूप में वर्क्स डिपार्टमेंट यथा लोक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग में 100 दिन में यह व्यवस्था लागू करने की योजना है।

16.4.6:स्वअभिप्रमाणित शपथ पत्र अमल में लाकर, प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा। शिक्षा प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

- छात्र–छात्राओं को स्कूल में प्रवेश लेते ही स्कूलों के माध्यम से आवेदन पत्र भरवाकर जाति प्रमाण प्रदाय किये जायेंगे। यह व्यवस्था 30 दिन में लागू कर ली जायेगी।

16.5.2:सभी विभागीय अधिनियमों, नीतियों और नियमों के प्रावधानों की अतिरेकता को पहचानने के लिये प्रयास करने की व्यवस्था लागू की जायेगी। इनके सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

- 100 दिनों में इस लक्ष्य की पूर्ति के प्रथम चरण में सभी विभागों को दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे कि उनके विभाग द्वारा क्रियान्वित–उपयोग किये जा रहे विभागीय अधिनियमों, नीतियों और नियमों की जानकारी प्रस्ताव के साथ अटल बिहारी वाजपेई लोक प्रशासन संस्थान को उपलब्ध कराऐं। अ.बि.वा. लोक प्रशासन संस्थान स्वयं एवं विशेषज्ञों की मदद से 100 दिन में सुधार की अनुशंसा करेगा।

16.5.3:केन्द्रीकरण, सहभागिता और कम समय में काम करने के लिये अंतर विभागीय कार्य को व्यवस्थित किय जायेगा।

- 100 दिनों में "अंतर विभागीय कार्य" को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से समस्त विभागों से उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं वर्तमान व्यवस्था सुधार के विषय में उनके सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। इन सुझावों के अध्ययन एवं परीक्षण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में विश्लेषण दल गठित किया जायेगा। दल की अनुशंसाओं के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर व्यवस्थित निर्देश/परिपत्र जारी किये जायेंगे।

16.6.3:प्रशासन अकादमी सचिवालयों और संचालनालयों, दोनों में ही मंत्रालय के कर्मचारियों हेतु बडे स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनायेगी और कार्यान्वित करेगी। अकादमी जिलों में नियुक्त कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकेन्द्रिकृत रूप से भी कार्यान्वित करेगी।

- अकादमी द्वारा मंत्रालय एवं संचालनालयों के कर्मचारियों हेतु बडे स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन तथा जिला स्तरीय कर्मचारियों के लिये विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण की विस्तृत योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन प्रारंभ किया जायेगा।